वेदांता लिमिटेड
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

दस्तावेज़ का शीर्षक	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति)
कंपनी	वेदांता लिमिटेड
अनुशंसाकर्ता	सीएसआर समिति
अनुमोदनकर्ता	निदेशक मंडल
लागू होने की तिथि	08 नवंबर, 2024

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण
१.	नीति का उद्देश्य
२.	वेदांता की सीएसआर फिलॉसफी
३.	विषयगत फोकस क्षेत्र
४.	परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
५.	अभिशासन — समीक्षा, निगरानी तंत्र और वार्षिक कार्य योजना तैयार करना
६.	परियोजनाओं/कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन
७.	ऑडिट
८.	संचार (कम्युनिकेशन)
९.	ज़िम्मेदारी
१०.	नीति की समीक्षा
११.	कानून में संशोधन
१२.	अनुलग्नक — वेदांता लिमिटेड में सीएसआर गतिविधियां

वेदांता लिमिटेड
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

क. नीतिगत उद्देश्य

वेदांता लिमिटेड ('VEDL' या 'कंपनी') अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालित करने और भारत के विकास लक्ष्यों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ अपने परिचालन क्षेत्रों और उसके आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी लगातार रूप से और इनका अनुपालन करते हुए काम करती है।

ख. वेदांता की सीएसआर फिलॉसफी

वेदांता लिमिटेड में हमारा एक सुस्थापित इतिहास रहा है और हम अपने पड़ोस के समुदायों और पूरे देश में सामाजिक भलाई के लिए अपनी ओर से योगदान करने की लगन रखते हैं।

सीएसआर विज़न

"*समुदायों को सशक्त बनाना, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और टिकाऊ व समावेशी विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना।*"

हमारा मानना है कि

- हम राष्ट्रीय और राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ साझेदारी करके देश के एकीकृत और समावेशी विकास को साकार करने में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और इसमें योगदान करते हैं;
- हमारे व्यवसायों का सतत विकास हमारे हितधारकों, विशेषकर उन समुदायों के साथ स्थायी, लंबे समय तक चलने वाले और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों पर निर्भर करता है, जिनके साथ हम काम करते हैं;
- सरकार से साथ साझेदारी करने से आगे बढ़ते हुए, कॉरपोरेट्स और नागरिक समाज/सामुदायिक संस्थानों के साथ साझेदारियाँ करना हमारे प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करके टिकाऊ समाधान बनाने में प्रभावी गुणक का काम करता है।
- हमारे कर्मचारियों में न केवल हमारे व्यवसाय में, बल्कि मजबूत समुदायों के निर्माण में भी योगदान करने की क्षमता है।

ग. विषयगत फोकस क्षेत्र

हमारे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है, विशेष रूप से समग्र विकास, जो आधारभूत और आवश्यक आकलनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडों के अनुरूप, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
प्रमुख क्षेत्र जिन पर हम ध्यान केन्द्रित करते हैं वे इस प्रकार हैं:

क. बच्चों की भलाई और शिक्षा
ख. महिलाओं का सशक्तीकरण
ग. हेल्थ केयर
घ. पानी और स्वच्छता
ङ. सतत कृषि और पशु कल्याण
च. कौशल विकास पहलों के माध्यम से युवाओं के लिए बाजार से जुड़े कौशल
छ. पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की बहाली
ज. खेल और संस्कृति
झ. सामुदायिक अवसंरचना का विकास
ञ. आपदा न्यूनीकरण, बचाव, राहत और पुनर्वास आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में भागीदारी

सीएसआर गतिविधियाँ (अनुलग्नक — सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के अनुरूप हैं। सीएसआर समिति और कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार, फोकस क्षेत्रों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

घ. परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सीएसआर परियोजनाएं, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हर तीन साल में किए जाने वाले आवश्यकता मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित होंगी।
हम, वेदांता में, इसके सीएसआर कार्यक्रम प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन मॉडल पर विचार करेंगे।

- **साझेदारी:** बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कॉरपोरेट्स, सरकार और समुदाय के नेतृत्व वाले संस्थानों सहित धारा 8 कंपनियों/सिविल सोसाइटी/गैर सरकारी संगठनों जैसे तृतीय पक्षों के साथ साझेदारी बनाकर।
- **प्रत्यक्ष सहभागिता:** वेदांता द्वारा इन-हाउस कार्यान्वयन और/या इस उद्देश्य के लिए स्थापित फाउंडेशनों के माध्यम से – जिसमें परियोजना की रूपरेखा तैयार करना और उसे लागू करना शामिल है।

वार्षिक कार्य योजना आवश्यकता मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चुनी गई परियोजना पर आधारित होगी। सीएसआर समिति, सीएसआर गतिविधियों के बारे में निर्णय लेगी और उनको तैयार करेगी और सीएसआर वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए बोर्ड को इनकी सिफारिश करेगी।

ङ. अभिशासन — समीक्षा, निगरानी तंत्र और वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

हम परियोजना के पूरे जीवन चक्र में अपनी प्रक्रियाओं को वेदांता के तकनीकी मानकों के साथ तालमेल में रखते हैं। बहु-स्तरीय अभिशासन तंत्र, टीमों को परियोजनाओं का विवेचनात्मक मूल्यांकन करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार करने योग्य बनाता है। इसमें शामिल हैं:

- सीएसआर टीमों द्वारा समय-समय पर आंतरिक समीक्षा, जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुमोदन, भागीदारों की ऑनबोर्डिंग, बजट तैयार करना, ऑडिट रिपोर्टों और उनकी सिफारिशों के अनुपालन की निगरानी, सीएसआर प्रक्रिया और इसके परिणामों की समीक्षा करना शामिल है।
- सीएसआर एक्सको और मैनकॉम (Exco & Mancom) वार्षिक सीएसआर योजनाओं और बजट को मंजूरी देगा और हर तिमाही में एक बार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- कंपनी की सीएसआर समिति, जो वार्षिक सीएसआर योजना/बजट को मंजूरी देने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करेगी, बोर्ड की नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को सुनिश्चित करेगी और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी।

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित स्वीकृत उद्देश्यों और तरीके से किया गया है, और इसके लिए सीएफओ या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

कंपनी की सीएसआर पहलों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, कंपनी के व्यावसायिक मुनाफे का हिस्सा नहीं बनेगा। किसी भी अप्रयुक्त राशि (उक्त वित्तीय वर्षों के अधिशेष उपयोग के बाद) को चल रही/गैर-चल रही परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और कानून के प्रावधानों के अनुसार इसे एस्क्रो/फंड में जमा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी द्वारा 2% की अनिवार्य राशि से अधिक खर्च किया गया है, तो वह अधिशेष राशि को आगे के तीन वित्तीय वर्षों तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अंतर्गत आवश्यक खर्च में समायोजित कर सकती है।

च. परियोजनाओं/कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नीचे दी गई आवश्यकता के अनुसार, जहां भी लागू हो, कंपनी प्रभाव मूल्यांकन करेगी:
प्रत्येक कंपनी, जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 *की धारा* 135(5) *के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व* ₹10 *करोड़ या उससे अधिक है, को* ₹1 *करोड़ या उससे अधिक के बजट वाली अपनी उन सीएसआर*

परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करना होगा, जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम 1 *वर्ष पहले पूरी की गई हों।*

इसके अतिरिक्त, कंपनी हर 3 साल में एक बार अन्य परियोजनाओं के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन करेगी।

छ. लेखा परीक्षा (ऑडिट)

सभी सीएसआर गतिविधियों और उन पर किए गए खर्च का ऑडिट एक बाहरी स्वतंत्र एजेंसी/फर्म द्वारा किया जाएगा।

कंपनी की सीएसआर समिति कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के तहत आवश्यक अनुपालन की समीक्षा करेगी।

ज. संचार (कम्युनिकेशन)

हम अपने सामाजिक कार्यक्रमों के परिणामों को समय-समय पर अपने हितधारकों तक स्वेच्छा से पहुंचाएंगे।

झ. जिम्मेदारी

कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए, सीएसआर टीम के साथ मिलकर कंपनी की बोर्ड द्वारा गठित सीएसआर समिति जिम्मेदार होगी।

ञ. नीति की समीक्षा

सीएसआर नीति की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी या जैसा कि कंपनी की सीएसआर समिति द्वारा सुझाया जा सकता है।

ट. कानून में संशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 और/या इस संबंध में अन्य लागू कानूनों में कोई भी भविष्य का संशोधन/परिवर्तन स्वतः ही इस नीति पर लागू होगा।

अनुलग्नक — वेदांता लिमिटेड में सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्र

विषयगत क्षेत्र और परियोजना सूची

१. बच्चों की भलाई और शिक्षा

- नंद घर, चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट, और प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए अन्य समान कार्यक्रम, जिसमें नंद घर के तहत मॉडल आंगनवाड़ी की स्थापना भी शामिल है।
- शिक्षा संबल, शाला प्रवेश महोत्सव, मो स्कूल, प्रोजेक्ट उज्जवल, प्रेरणा, फेकर साथी शिक्षा अमृत परियोजना, कंपनी द्वारा संचालित स्कूल और समुदाय के निर्धारित स्कूलों में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता सहित अन्य शैक्षिक पहल।
- उच्च शिक्षा कार्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन आदि में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु ऊंची उड़ान, उत्कर्ष छात्रवृत्ति और इसी तरह की पहलें।
- वेदांता कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम और इसी तरह की आईसीटी पहल, जो युवाओं को पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण और कंप्यूटर व तकनीकी ज्ञान से परिचित कराने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं।

२. सामुदायिक इन्फ्रा/मोबिलाइजेशन

- ग्राम निर्माण, ग्राम विकास केंद्र जैसी आदर्श ग्राम विकास परियोजनाएं, और इसी प्रकार की ग्रामीण विकास परियोजनाएं जो सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करती हैं, जैसे सड़कें, पुल, पुलिया, नालियां, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल एवं जल पुनर्भरण संरचना, सामुदायिक केंद्र, साथ ही शिक्षा संरचना, स्वास्थ्य एवं जल संरचना तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचा।

३. हेल्थकेयर

- आरोग्य, निक्षय मित्र, वेदांता अस्पताल, और मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों/शिविरों/टेलीमेडिसिन के माध्यम से निर्धारित समुदायों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए इसी तरह की परियोजनाएं। निवेश के माध्यम से चलाए जा रहे अस्पतालों सहित अस्पतालों और स्वास्थ्य पहलों का निर्माण/बढ़ाना/सहायता करना।
- कुपोषण को कम करने और पोषण पर ध्यान केंद्रित करने की पहल।
- किशोरियों और महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान और जागरूकता निर्माण, कार्यान्वयन एवं व्यापक प्रसार के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार।

४. आपदा प्रबंधन

- प्राकृतिक आपदा राहत एवं सुरक्षा प्रतिक्रिया पहल।

५. पानी और स्वच्छता

- स्वच्छता, तमीरा सुरभि और इसी तरह की स्वच्छता और पेयजल परियोजनाएं जिनमें पारंपरिक सामुदायिक जल अवसंरचना का जीर्णोद्धार किया जाता है।

६. महिला सशक्तीकरण

- आजीविका और सामुदायिक कल्याण के लिए ग्रामीण महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए सखी, सुभलक्ष्मी और इसी तरह की अन्य परियोजनाएं।
- महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहर के आस-पास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित और कार्यान्वित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, जिसमें सुभलक्ष्मी सहकारी समिति, प्रोजेक्ट तारा, सखी उत्पादन समिति, जीविका आदि जैसी पहल शामिल हैं।

७. खेल और संस्कृति

- फुटबॉल और तीरंदाजी से संबंधित परियोजनाएं, वेदांता फुटबॉल स्कूल, तीरंदाजी अकादमी, वेदांता स्पोर्ट्स फ़ाउंडेशन और इसी तरह की परियोजनाएँ।

- क्षेत्रों में इन्हें बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित समुदायों में क्लस्टर आधारित खेल को बढ़ावा देना।
- जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए संस्कृति को बढ़ावा देना।

८. आजीविका

- बाड़मेर उन्नति, साथी प्रगति, समाधान, प्रोजेक्ट हरियाली और इसी प्रकार की पहलें जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुधन विकास, जल संसाधन विकास पर केंद्रित हैं।

९. कौशल विकास

- वेदांता स्किल स्कूल, सेसा टेक्निकल स्कूल, जिंक कौशल, सेसा स्किलिंग जैसी कौशल वृद्धि और पुनः कौशल विकास पहलें जो युवाओं के लिए बाजार से जुड़ा व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

१०. पशु कल्याण

ऐनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी परियोजनाएं और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों के कल्याण पर इसी तरह की पहलें।